

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1141
No. 1141नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2006/अश्विन 6, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2006/ASVINA 6, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2006

क्र.आ. 1629(अ).—विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुसुमागिरी, कनकानाड ग्राम, एर्नाकुलम, केरल राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और/अथवा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्रों के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु मैसर्स इन्फोपार्क को धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 7 अप्रैल, 2006 को अनुमोदन-पत्र प्रदान किए जाने के उपरोक्त, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, एतद्वारा केरल राज्य के कुसुमागिरी, कनकानाड ग्राम, एर्नाकुलम में निम्नलिखित क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या एवं क्षेत्रफल शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	601	0.1020
2	601	0.0488
3	601	0.1800

1	2	3
4.	601	0.1160
5.	601	0.1060
6.	601	0.1160
7.	602	0.1200
8.	602	0.2300
9.	602	0.3340
10.	602	0.1600
11.	602	0.0700
12.	612	0.1100
13.	615	1.2400
14.	616	2.0000
15.	617	0.8700
16.	617	0.2410
17.	617	0.7600
18.	617	0.0080
19.	617	0.0300
20.	618	0.0440
21.	618	0.0400
22.	619	0.0010
23.	619	0.0020
24.	619	0.0365
25.	621	0.3460
26.	621	0.0092
27.	621	0.3700
28.	622	0.2370
29.	622	0.3500
30.	622	0.2600
31.	623	0.7200

(1)